DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS ---------- DATED हिन्दुस्तान

दिल्ली से छोटे उद्योगों को हटाया नहीं जा सकता : सौरभ भारद्वाज

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली सरकार के उद्योग मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के नॉन कन्फर्मिंग इंडस्ट्रियल इलाकों में चल रही छोटी-छोटी औद्योगिक इकाइयों का बचाव करते हुए कहा कि दिल्ली के विकास में, उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में इन छोटे-छोटे उद्योगों की बड़ी भूमिका रही है। केवल इस बिनाह पर इन्हें हटाया नहीं जा सकता कि ये उद्योग नॉन कन्फर्मिंग एरिया में चल रहे हैं। इसके लिए सौरभ ने सरकारी एजेंसियों की निष्क्रियता और उनमें कुशलता की कमी को जिम्मेदार ठहराया।

मंगलवार को इंडिया हैबिटेट सेंटर में

सीआईआई एमएसएमई समिट में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे सौरभ ने कहा कि दिल्ली के सरकारी तंत्र में अलग-अलग सरकारी संस्थानों और एजेंसियों का हस्तक्षेप होने के कारण जिस स्तर पर दिल्ली का विकास हुआ, सरकारी संस्थान उस स्तर पर खुद को उतने कुशल नहीं बना पाए। इसका नतीजा हमें आवासीय बाजारों और औद्योगिक बाजारों में दिखाई देता है। डीडीए लोगों के लिए पर्याप्त संख्या में आवासीय अपार्टमेंट नहीं बन पाई, आवासीय कॉलोनियां डिवेलप नहीं कर पाई। इसकी वजह से अनधिकृत कॉलोनियां बसती चली गईं। औद्योगिक क्षेत्रों का भी यही हाल है। डीडीए दिल्ली में औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण और विकास नहीं कर पाई, जिसके कारण लोगों ने कई जगह छोटे-छोटे औद्योगिक क्षेत्र बना लिए, जिन्हें हम नॉन कंफर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया कहते हैं। दिल्ली के जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, उनमें आधे से ज्यादा नॉन कन्फॉर्मिंग एरिया में हैं, जहां छोटी-छोटी औद्योगिक इकाइयां हैं। इन्हें खत्म नहीं किया जा सकता।

'जरूरत के मुताबिक नहीं किया निर्माण'

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। उद्योग मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने दिल्ली के अंदर जरूरत के मुताबिक आवासीय क्षेत्र व औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण नहीं किया। उसी का नतीजा है कि दिल्ली में लोगों को जहां जगह मिली वहीं बसने लगे और अनाधिकृत कॉलोनियों का निर्माण हुआ।

भारद्वाज ने कहा कि केजरीवाल सरकार इस दिशा में काम कर रही है और दिल्ली में दो रानी खेड़ा और बापरौला में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना बनाई है। सौरभ भारद्वाज ने यह बातें मंगलवार को इंडिया हैबिटेट सेंटर में एमएसएमई समित में बतौर मुख्य अतिथि कहीं।

मयूर विहार फेज़-1 में गंदे पानी की हो रही सप्लाई

■ प्रमुख संवाददाता, नई दिल्ली : मयूर विहार फेज-1 के डीडीए जनता फ्लैट्स में रहने वाले हजारों लोग पिछले दो-ढाई महीनों से गंदे और काले पानी की सप्लाई से परेशान हैं।

चिल्ला गांव के पास मयूर विहार फेज-1 के डीडीए जनता फ्लैट्स रेजिडेंट वेलफेयर असोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी विकास सिंह नेगी के अनुसार डीडीए के यहां 630 फ्लैट्स हैं। सभी में दो-ढाई महीनों से गंदा पानी आ रहा है। पानी में झाग होता है और बदबू भी काफी होती है। लोग जल बोर्ड दफ्तरों में शिकायत कर चुके हैं और एक बार नहीं, बल्कि कई-कई बार शिकायत करने पर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। लोग रोजाना महंगे पानी की बोतल खरीद कर पी रहे हैं। वहीं जल बोर्ड के अफसरों के अनुसार उन्हें इस संबंध में किसी ने शिकायत नहीं की है। गंदा पानी किस वजह से आ रहा है, इसके लिए एरिया के पाइपलाइनों की जांच की जाएगी और ठीक किया जाएगा।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

Hindustan Times

Demolition drive at Sanjay Van

NEW DELHI: The Delhi Development Authority (DDA) on Tuesday carried out an encroachment removal drive at Sanjay Van, demolishing several unauthorised constructions in the protected forest area of the southern Ridge and clearing 5,000sqm of area, officials said.

In an official statement DDA has said that the encroachment removal drive was carried out in the presence of security personnel and several unauthorised religious structures have been removed.

"A joint committee was formed under chairmanship of district magistrate South Delhi to assess the encroachment in Sanjay Van, which suggested the removal of various illegal structures from the Sanjay Van," DDA said. HTC

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
WEDNESDAY, JANUARY 31, 2024

5,000 sqm of land reclaimed in Sanjay Van

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: DDA reclaimed about 5,000 sqm in Sanjay Van area with the removal of "illegal" structures on Tuesday, said officials.

"In compliance with the order of the committee headed by the DM (South), the horticulture department carried out a demolition drive in Sanjay Van, during which officials of revenue department and cops were present. The structures were successfully demolished and the removal of malba is under process," DDA said.

Sanjay Van is a reserved forest, spread over 780 acres. As per the Ridge Management Board, the ridge area should be free from encroachments. A committee, with DM (South) as chairperson, had suggested the illegal structures be removed from Sanjay Van. On Jan 27, the removal of the structures was approved.

Meanwhile, MCD said it has demolished 440 structures and sealed 85 others in Jan. "The action includes an intensive drive carried out in the past two days, including 31 demolition actions, eight sealing actions and four actions against illegal plots in various areas, including Dera Mandi, Said-ul-Ajaib, Chhatarpur, Burari and Narela," said an official, adding 70 acres were freed up.

Joint committee seeks 12 weeks from NGT to demarcate floodplain

New Delhi: A joint committee has sought 12 weeks from National Green Tribunal for demarcating the floodplains saying the exercise needs massive inter-departmental collaboration, collection of data and ground verification to ensure implementation of tribunal's order.

Taking suo moto cognisance of a **TOI** report titled 'Why flooding has forced DDA's master plan rethink' in Oct last year, NGT had constituted a committee headed by Delhi chief secretary to notify the floodplains of the Yamuna as per the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016.

In a report submitted to NGT on Jan 29, Delhi environment department, on behalf of the committee, said, "It is prayed further a time of 12 weeks may be granted to the concerned agencies to complete the exercise and ensure compliance."

According to the report, DDA estimates 9,700 hectares comprise of Yamuna's O-zone, but occupies 1,146 hectares. Of the total 3,493 hectares available for development, 1,647 hectares was available with DDA. 5,061 hectares has been allotted to different departments. TNN

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

दैनिक जागरण
नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2024

महरौली में दरगाह और मंदिर पर चला बुलडोजर

डीडीए और वन विभाग ने संजय वन में ज्वाला काली मंदिर, आशिक अल्लाह दरगाह पर की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली: महरौली इलाके के संजय वन स्थित ज्वाला काली मंदिर और आशिक अल्लाह की दरगाह पर मंगलवार तड़के बुलडोजर चला। डीडीए (दिल्ली विकास प्राधिकरण) और वन विभाग की संयुक्त टीम ने सरकारी जमीन पर बने दोनों धार्मिक स्थल को बुलडोजर से पूरी तरह ध्वस्त करा दिया। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी संख्या में पुलिस तैनात रही। पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए धार्मिक स्थलों की तरफ जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया था।

महरौली इलाके के संजय वन में ज्वाला काली मंदिर और आशिक अल्लाह दरगाह है। दावा है कि यह दोनों धार्मिक स्थल दिल्ली विकास प्राधिकरण व वन विभाग की जमीन पर बने थे। डीडीए की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए कई दिन से तैयारी कर रही थी। यहां पर मंगलवार की तड़के करीब चार बजे के करीब डीडीए व वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। पहले ही भारी संख्या में पुलिस और अर्द्धसैनिक बल को इलाके में तैनात कर दिया गया। इसके बाद टीम ने मंदिर और दरगाह को तोड़ दिया। सुबह करीब छह बजे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई। दोपहर तक सारा अतिक्रमण हटा दिया गया।

संजय वन स्थित दरगाह को बुलडोजर की सहायता से तोड़ा गया • सौः सुधी पाठक

- इलाके में सुबह से ही भारी संख्या में तैनात की गई थी पुलिस
- मंदिर और दरगाह जाने वाले रास्ते को किया गया बंद

मंदिर तोड़ने के बाद समतल की गई जगह • जागरण

प्रशासन ने पहले ही हटा दी थीं मूर्तियां: दशकों पुराने मंदिर से प्रशासन ने पहले ही भगवान की मूर्तियों को हटा दिया था। मूर्तियों को हटाकर एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया था, ताकि किसी की आस्था को ठेस न पहुंचे।

धार्मिक स्थलों की तरफ जाने वाले रास्ते देर शाम तक बंदः सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस ने धार्मिक स्थलों की तरफ जाने वाले रास्तों को तड़के ही बंद कर दिया था। यहां पर पुलिस और अर्द्धसैनिक बल को तैनात किया गया था। किसी को भी धार्मिक स्थल की ओर जाने की अनुमति नहीं दी गई। यह रास्ते देर शाम तक बंद रखे गए। वहां पर पूरी तरह आवागमन बंद था।

मंदिर के पुजारी को सुबह पांच बजे ही निगरानी में रखाः पुलिस ने मंदिर के पुजारी को तड़के पांच बजे ही निगरानी में रख लिया था। पुजारी आचार्य शुभम शास्त्री ने बताया कि यह मंदिर 25 साल पुराना है। वह तड़के मंदिर में पूजा करने जा रहे थे। इस दौरान पुलिस ने उनको रोक दिया और निगरानी में रखा। उनका कहना है कि मंदिर तोड़ने से पहले संबंधित विभाग की तरफ से कोई भी नोटिस नहीं दिया गया। कोई कारण भी नहीं बताया गया।

अवैध धार्मिक निर्माण को शांतिपूर्वक हटाया गयाः डीडीए

डीडीए की तरफ से बताया गया कि अवैध धार्मिक निर्माण को शांतिपूर्वक हटाया दिया गया है। विभाग ने जानकारी दी कि संजय वन एक आरक्षित वन है। यह दक्षिणी रिज का हिस्सा है। रिज प्रबंधन बोर्ड के आदेशानुसार रिज क्षेत्र को सभी प्रकार के अवैध अतिक्रमण से मुक्त किया जाना चाहिए। संजय वन में अतिक्रमण का आकलन करने के लिए डीएम दक्षिणी दिल्ली की अध्यक्षता में गठित समिति विभिन्न अवैध निर्माण को हटाने का सुझाव दिया था। इसके तहत ही अतिक्रमण को हटाया गया है।

उचित कदम » संपादकीय

उचित कदम

दक्षिणी दिल्ली स्थित महरौली में वन विभाग और डीडीए की भूमि पर अतिक्रमण करके बनाए गए धार्मिक स्थलों को तोड़ा जाना सर्वथा उचित है। डीडीए और वन विभाग की संयुक्त टीम ने मंगलवार को संजय वन में अपनी भूमि पर बने ज्वाला काली मंदिर और आशिक अल्लाह दरगाह को ध्वस्त कर दिया। पुजारी का दावा था कि इसकी कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई, जबकि डीडीए अधिकारियों के अनुसार धार्मिक समिति को तीन दिन पूर्व सूचित कर दिया गया था। दिल्ली के विभिन्न इलाकों में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है, जिनके कारण इस भूमि का विकास कार्यों में उपयोग नहीं हो पा रहा है। ऐसे अतिक्रमण हटाने को लेकर अब संबंधित विभाग गंभीर नजर आ रहे हैं और अनेक क्षेत्रों को अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। इस क्रम में धार्मिक स्थलों द्वारा किया गया अतिक्रमण भी हटाया जा रहा है, जिसे कतई अनुचित नहीं कहा जा सकता। संजय वन का क्षेत्र एक आरक्षित वन क्षेत्र है और रिज प्रबंधन बोर्ड के आदेश के अनुसार इसे अतिक्रमणमुक्त किया ही जाना चाहिए। वन क्षेत्र में किसी तरह का अतिक्रमण पर्यावरण की दृष्टि से उचित नहीं है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। दिल्ली के विभिन्न इलाकों में वन क्षेत्र में किए गए अतिक्रमण पर ऐसी ही कार्रवाई की जानी चाहिए। दिल्ली को कुरूप बनाने वाले अतिक्रमण के खिलाफ पूरी सख्ती से पेश आने की आवश्यकता है। साथ ही, सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जहां से अतिक्रमण हटाया गया है, वहां फिर से अतिक्रमण न होने पाए।

राजधानी को कुरूप बनाने वाले अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ ही दोबारा कब्जे होने से रोकना जरूरी है

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

Hindustan Times | नई दिल्ली, बुधवार, 31 जनवरी 2024

Delhi govt asks for 12 weeks to demarcate Yamuna's floodplain

Jasjeev Gandhiok
jasjeev.gandhiok@hindustantimes.com

In October, NGT said that delineation of Yamuna was required to prevent illegal developments. HT ARCHIVE

NEW DELHI: Experts have long held that there is a simple reason why the Delhi government has been unable to protect the Yamuna floodplains — they have never been demarcated and defined.

After the National Green Tribunal (NGT), in October, pushed the administration to do so by setting up a panel for the task, the Delhi government, in a submission to the body on January 29, has sought 12 weeks to complete the virtual demarcation of the floodplains, and a physical demarcation on the ground through signage and pillars.

Floodplains are a critical ecosystem — they are a natural barrier against floods, serve as an ideal recharge mechanism (for rainwater especially), and provide a home to diverse flora and fauna. But they are usually neglected, and often encroached upon — often with disastrous consequences for not just the river, but also human habitations along its banks.

Floods such as the one last year which saw the Yamuna water level rise to an all-time high of 208.66 metres on July 13, with the river's waters almost reaching the Supreme Court and besieging the Red Fort, can be directly attributed to abuse of the floodplains, experts say.

NGT, in October, took cognizance of a media report and formed a committee headed by the Delhi chief secretary to identify, demarcate and notify the floodplains of the Yamuna as per the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016.

It added that the delineation of Yamuna was required to prevent illegal developments in the floodplains.

The committee also comprises a nominee from Delhi Development Authority, the Secretary (Environment); the Secretary (ministry of Jal Shakti); executive director, National Mission for Clean Ganga (NMCG); and commissioner, Municipal Corporation of Delhi (MCD).

"The committee will get the spot inspection done and ensure demarcation of flood plains of Yamuna in the area concerned and suggest measures to prevent and remove the encroachment and unauthorized constructions falling within the flood plains," NGT said in its order dated October 17, 2023.

In a submission on January 29, the environment department of the Delhi government told the tribunal that it will take two weeks for the remote determination of the floodplain area, followed by another two weeks to prepare high-resolution images using Geospatial Delhi Limited (GSDL), a company that maintains and update spatial data through mapping and surveys, and four weeks for on-ground verification of the same area, after which physical demarcation on the ground will commence.

In its submission, the Delhi government added: "The committee has deliberated at-length the timelines required for the exercise and found that the operation needs massive interdepartmental collaboration, collection of data, ground surveys, verification and on-ground demarcation to ensure effective implementation of this Tribunal's directions and thus requires more time. It is prayed further a time of 12 weeks may be granted to the concerned agencies to complete the exercise and ensure compliance."

HT has reviewed a copy of the submission.

Ground situation

The submission added that DDA estimates the so-called Zone O of the Yamuna to be 9,700 hectares with the area occupied by the river itself being around 1,146 hectares.

Of the balance, land available for development is 3,493 hectares (1,647 hectares of this is with DDA); the remaining 5061 hectares is with other department and agencies, and also home to 94 unauthorised colonies.

The Delhi government department also said that DDA carried out a floodplain area demarcation, based on a 2015 NGT order that sought the demarcation keeping in mind a possible "1-in-25 year flood" (a rare occurrence with a 4% chance of occurring every year).

That exercise (done in association with the Indian Institute of Technology, Delhi), however, has been questioned by the National Mission for Clean Ganga (NMCG), which, in January 2022, directed the demolition of structures in the floodplains noting that the DDA demarcation was "inappropriate" and "not done properly".

In the draft master plan for 2041, which is yet to be notified, DDA split this zone into Zone O1 and Zone O2, with regulated development being allowed in the latter.

What happens now

To determine the area with other agencies and government departments along the floodplains, the NGT-appointed committee has directed GSDL to procure high-resolution images of the floodplain area and coordinate with different departments and agencies for the preparation of a detailed map, the submission stated.

"The committee stressed on the granularity of data required from DDA on this exercise, which included a detailed department-wise/agency-wise break-up of area in terms of ownership and land use. ...Also directed DDA to submit the area which is clearly free from encroachment and encumbrances and also enquired from DDA about the area under private ownership," the submission added, stating that each government department or agency owning land along the floodplains has to appoint a nodal officer and share information with GSDL within four weeks.

Experts said until the demarcation is done, unauthorised colonies and structures cannot be removed.

"DDA has said it has done a 1-in-25 year floodplain demarcation in the past, but we don't see any bollards or markings in the Yamuna, barring a few limited places, like Baansera. The O-zone also exists on paper and until there is clear demarcation of floodplain area, how can we stop projects from taking place on floodplain land?" asked Bhim Singh Rawat, a Yamuna activist and member of the South Asia Network on Dams, Rivers and People (SANDRP).

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

अमर उजाला
नई दिल्ली | बुधवार | 31 जनवरी 2024
amarujala.com

31 जनवरी • 2024 | राष्ट्रीय सहारा

डीडीए उपाध्यक्ष से मिला प्रतिनिधिमंडल

नई दिल्ली (एसएनबी)। पालम 360 का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधान चौधरी सुरेन्द्र सोलंकी के नेतृत्व मंगलवार को गांव देहात की समस्याओं को लेकर डीडीए उपाध्यक्ष सुभाशिष पांडा से मिला। इस अवसर पर चौधरी सोलंकी ने बताया कि डीडीए उपाध्यक्ष सुभाशिष पांडा से मुलाकात कर अपनी मांग उनके समक्ष रखी। इनमें गांवों में डीडीए के सामुदायिक भवनों को गांव वालों को सौंपा जाए। गांवों के प्राचीन मंदिरों के नाम कम से कम पांच एकड़ जमीन की जाए। मेला ग्राउंड के नाम से पालम गांव में होलिका दहन की जगह को स्थाई किया जाए। मदनपुर डबास गांव में जल्द स्टेडियम बनाया जाए, आदि मांगें शामिल हैं। गांव में कोई सुविधा नहीं दी गई, दिल्ली के गांव स्लम बन चुके हैं। इस पर डीडीए उपाध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि सभी मुद्दों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर चौधरी नरेश प्रधान लाडोसराय 96, चौधरी खजान सिंह प्रधान ढांसा 12, राव त्रिभुवन प्रधान सुरेहड़ा 17, प्रीतम डागर, जिले प्रधान ईसापुर, मास्टर जगबीर मदनपुर डबास व अशोक मैदानगढ़ी आदि उपस्थित थे।

डीडीए ने नहीं किया आवासीय कॉलोनी औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण : भारद्वाज

अमर उजाला ब्यूरो

कहा, नॉन कन्फर्मिंग औद्योगिक एरिया को कंफर्मिंग में बदलने पर सरकार का जोर

नई दिल्ली। दिल्ली एक राज्य होने के साथ-साथ इस देश की राजधानी भी है। न्यायालय की नजर भी दिल्ली पर बहुत अधिक रहती है। सरकार से जुड़े काम को लेकर अक्सर लोग न्यायालय का रुख करते हैं, जिस कारण से सरकार के कार्यों में बहुत बाधाएं पैदा हो जाती हैं।

इन बाधाओं के कारण जनता और सरकार दोनों का ही नुकसान होता है। दिल्ली के सरकारी तंत्र में अलग-अलग सरकारी संस्थानों का हस्तक्षेप होने के कारण जिस आधार पर दिल्ली का विकास हुआ, उस स्तर पर सरकारी संस्थान अपने को कुशल नहीं बना पाए, जिसका नतीजा हम सबको दिल्ली में आवासीय बाजार और औद्योगिक बाजार में दिखाई देता है।

यह बातें दिल्ली के उद्योग मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित एक औद्योगिक समिट के मौके पर कहीं। इस मौके पर भारद्वाज ने औद्योगिक क्षेत्र के लोगों को बताया कि रानी खेड़ा और बपरोला में बड़े औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण किया जा रहा है। दिल्ली सरकार जल्द ही स्टार्ट अप पॉलिसी भी लेकर आ रही है। यह भी कहा कि दिल्ली का सरकारी तंत्र चलाने के लिए यहां पर विभिन्न सरकारी संस्थान है।

दिल्ली में बहुत सारी शक्तियां हैं जो केंद्र सरकार के अधीन आती हैं। कई ऐसे कार्य हैं जो नगर निगम के अधीन आते हैं। यह अन्य राज्यों की तुलना में अलग है। इसका एक नतीजा यह भी हुआ कि जितने आवासीय अपार्टमेंट की दिल्ली में जरूरत थी, उस स्तर पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने लोगों के लिए आवासीय अपार्टमेंट नहीं बना पाई, आवासीय कॉलोनी विकसित नहीं कर पाई।

पंजाब केसरी
DELHI

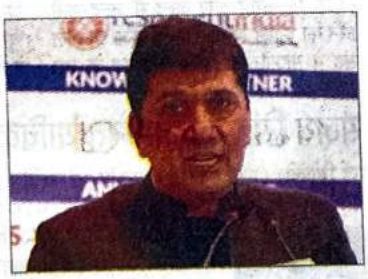

जरूरत के अनुसार डीडीए ने नहीं किया आवासीय कॉलोनी और औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण: भारद्वाज

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : जरूरत के अनुसार डीडीए ने आवासीय कॉलोनी और औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण नहीं हुआ। यह बात दिल्ली के उद्योग मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को इंडिया हैबिटेट सेंटर में सीआईआई एमएसएमई समिट कार्यक्रम के दौरान कहीं। सौरभ भारद्वाज इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। भारद्वाज ने कहा कि जितने आवासीय अपार्टमेंट की दिल्ली में जरूरत थी, उस स्तर पर डीडीए लोगों के लिए आवासीय अपार्टमेंट नहीं बन पाई, आवासीय कॉलोनी डेवलप नहीं कर पाई, जिसका नतीजा यह हुआ कि लोगों को जहां-जगह मिली लोगों ने वहीं पर रहने के लिए अपने इंतजाम किए और अनऑथराइज्ड कॉलोनी का निर्माण किया। आज दिल्ली में स्थिति यह है कि लगभग आधी से ज्यादा दिल्ली अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहती है। इसी प्रकार से दिल्ली के विकास की तुलना में डीडीए, दिल्ली में औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण नहीं कर पाई जिसके कारण लोगों ने व्यापार करने के लिए खुद जगह-जगह छोटे-छोटे औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण कर लिया, जिसे आज हम नॉन कंफर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने कहा कि इसका नतीजा यह हुआ कि आज दिल्ली में जो कुल औद्योगिक क्षेत्र हैं, उनमें से आधे

से ज्यादा नॉन-कन्फॉर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया के अधीन आते हैं। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एक अनुमान के आधार पर दिल्ली के लगभग सभी औद्योगिक क्षेत्र में से आधे औद्योगिक क्षेत्र आज भी नॉन कंफर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया के अधीन आते हैं। इन औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 51000 औद्योगिक इकाइयां हैं, जिनमें लगभग 15 लाख से अधिक लोग काम करते हैं। इन सभी नॉन कंफर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया को कंफर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया बनाने के लिए जो राशि भुगतान की जानी है उसका 90 प्रतिशत दिल्ली सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा और मात्र 10 प्रतिशत राशि का भुगतान इन क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक इकाइयों से लिया जाएगा।

डीडीए उपाध्यक्ष से मिला पालम 360 का प्रतिनिधिमंडल

नई दिल्ली। पालम 360 का एक प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगों को लेकर मंगलवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सुभाशीष पांडा से मिला। उन्होंने आस-पास के गांवों से आए प्रधानों की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं व मांगें रखी। इनमें गांव के डीडीए सामुदायिक भवनों को ग्रामीणों को सौंपने, गांवों के प्राचीन मंदिरों को पांच एकड़ जमीन दिए जाने, होलिका दहन की जगह को स्थाई करने जैसी मांगें शामिल रहीं। इसके अलावा, मदनपुर डबास गांव में स्टेडियम के काम को तेजी से पूरा करने की मांग भी की गई। हर पांच गांव के दायरे में एक स्टेडियम बनाने की अपील भी की गई। इस मौके पर पालम 360 के प्रधान चौ. सुरेन्द्र सोलंकी, लाडो सराय 96 के प्रधान नरेश, ढांसा 12 के प्रधान खजान सिंह, सुरेहड़ा के प्रधान राव त्रिभुवन समेत कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। संवाद

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

पंजाब केसरी DELHI

NEW DELHI
WEDNESDAY
JANUARY 31, 2024

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
WEDNESDAY, JANUARY 31, 2024

दिल्ली विकास प्राधिकरण

रिक्ति अधिसूचना सं. 06/वाईपी/2023/पीबी–1

दिल्ली विकास प्राधिकरण परिपत्र सं. 85/2023 दिनांक 06.09.2023 द्वारा जारी पॉलिसी दस्तावेज के अनुसार अनुबंध आधार पर निम्नलिखित कार्य के लिए अपेक्षित योग्यताएं, अनुभव एवं विशेष ज्ञान रखने वाले यंग प्रोफेशनल को नियुक्त करने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है:–

क्र. सं.	श्रेणी	नियुक्त किए जाने वाले यंग प्रोफेनल की सं.	अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव
01	इंजीनियरिंग/हाउसिंग एवं अन्य परियोजनाओं की निगरानी के लिए	01 (एक)	अर्थशास्त्र/वित्त/सांख्यिकी में मास्टर डिग्री अथवा व्यवसाय प्रशासन में एमबीए/पीजी डिप्लोमा परियोजना प्रबंधन/निगरानी एवं मूल्यांकन में 02–05 वर्ष के प्रोफेशनल अनुभव सहित।

इस कार्य को करने वाले यंग प्रोफेशनल डीडीए की वेबसाइट https://dda.gov.in/latest-jobs को देख सकते हैं और योग्यता मानदंड, आवेदन प्रारूप और जमा करने की प्रक्रिया से संबंधित निबंधन एवं शर्तों आदि की विस्तृत अधिसूचना के लिए 'यंग प्रोफेशनल' की नियुक्ति हेतु प्रक्रिया एवं दिशानिर्देश" का अवलोकन कर सकते हैं। पदों की संख्या में डीडीए की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।
आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15.02.2024 है।

ddaofficial official_dda official_dda_ Official_dda

"कृपया दि.वि.प्रा. की वेबसाइट www.dda.gov.in देखें या टोल फ्री नं. 1800110332 डायल करें।"

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

VACANCY NOTIFICATION No.06/YP/2023/PB-I

Delhi Development Authority invites applications for hiring Young Professional for following task who posses requisite qualifications, experience and expertise on contractual basis in accordance with the policy document issued vide Circular No. 85/2023 dated 06.09.2023:-

S. No.	Category	No. of YP to be engaged	Essential educational qualifications and experience
01	For monitoring of Engineering/ Housing and other projects	01 (ONE)	Master Degree in Economics/ Finance /Statistics OR MBA/PG Diploma in Business Administration with 02-05 years professional experience in Project Management/Monitoring and Evaluation

The Young Professionals who are ready to take on this challenge may head over to DDA website i.e. https://dda.gov.in/latest-jobs and check out the "Procedure and guidelines for engagement of Young Professionals" including the detailed Notification envisaging eligibility criteria, application format and procedure of its submission, terms and conditions etc. The number of positions is subject to variation depending upon the requirement of DDA. The last date of submission of application is 15.02.2024.

ddaofficial official_dda official_dda_ Official_dda

Please visit DDA's website at www.dda.gov.in or Dial Toll Free No. 1800110332